राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या – 64/2014............................... जिला ....उदयपुर...

उनवान : कोटक महिन्द्रा बैंक लिमि., मुम्बई, शाखा–57, कृष्णा टॉवर, सी–स्कीम, जयपुर जरिये श्री पंकज अग्निहोत्री

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, उदयपुर, राजस्थान
2. मांगीलाल डांगी पुत्र श्री काना डांगी निवासी तुलसीदास की सराय, डबोक, तहसील मावली जिला उदयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य**	
31/03/2014	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के आदेश संख्या प0 29(बी)(43)पीएस/वाहन/आब/2013/3657 दिनांक 25.11.2013 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत की गयी है। आबकारी आयुक्त ने उक्त आदेश से प्रार्थी के अधिहरित वाहन को अधिहरण से मुक्त किये जाने के विकल्प के रूप में रूपये 6,50,000/– की जुर्माना राशि का आरोपण किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के साथ आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के प्रावधानों के अन्तर्गत 75 प्रतिशत जमा का सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः अपील की ग्राह्यता के बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अशोकनाथ ने कथन किया कि अपीलार्थी ने अधिनियम के तहत दायर अपील में 75 प्रतिशत राशि जमा कराने की शर्त से छूट दिये जाने हेतु आवेदन अपील के साथ ही प्रस्तुत कर दिया है। अतः छूट स्वीकार की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 9ए(4) के परन्तुक अनुसार अपील श्रवणार्थ ग्रहण से पूर्व बकाया मांग में से 75 प्रतिशत राशि जमा होने का सबूत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस शर्त से छूट का प्रावधान अधिनियम के तहत नहीं है। अतः अपील ग्राह्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा सम्बन्धित प्रावधान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अधिनियम की धारा 9ए(4) के परन्तुक– "Provided that no appeal shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of payment of 75% of the amount of the demand created by the order appealed against." अनुसार विवादित आदेश से सृजित मांग का 75 प्रतिशत जमा होने का संतुष्टिपरक प्रमाण अपील के साथ संलग्न नहीं है। इस बाध्यकारी शर्त से छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अतः शर्त की अनुपालना के अभाव में यह अपील श्रवणार्थ ग्राह्य नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति पक्षकारों को नियमानुसार जारी हो। निर्णय सुनाया गया। 31.3.2014 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 31/03	